न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय सं०–01, आगरा

वाद संख्या–3644/2019
मोहन सिंह बनाम पीलू
अपराध संख्या–1021/2018
धारा–323, 452, 354, 336 भा०दं०सं०
थाना–जगदीशपुरा, आगरा।

दिनांक–29.06.2026

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा संबंधित थाना जगदीशपुरा में दी गई तहरीर के आधार पर उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचनोपरान्त संबंधित विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या प्रेषित की गई है।

वादी मुकदमा को नोटिस प्रेषित किया गया। वादी द्वारा पूर्व में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांकित 22.12.2025 प्रस्तुत किया गया था। विगत तिथि को वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर बल दिया गया और उसके द्वारा अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने की याचना की गई। समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संबंधित विवेचक द्वारा विवेचना सही तरीके से की गई है, उनके द्वारा विवेचना में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। निष्कर्षतः अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

संबंधित विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(विनीता सिंह–।)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं०–01, आगरा।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1985